संख्याः– 2075 /अनुभाग–7–248 / 2016–17

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड देहरादून,

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

राजस्व परिषद (कृ0सां0) देहरादून, दिनाँकः 14 जुलाई, 2016

विषयः– **पड़ताल निरीक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि खरीफ, रबी व जायद जिन्सवारों तथा मिलान खसरा में दिये गये आंकड़ों के आधार पर प्रतिवर्ष राज्य में भूमि उपयोगिता एवं उपज के आंकड़ो से सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में प्रकाशित सूचनाओं तथा आंकड़ों के आधार पर प्रदेशीय तथा भारत सरकार, कृषि सम्बन्धी विभिन्न योजनांए तैयार करते हैं। जनपदों से तैयार जिन्सवार एवं मिलान खसरा क्षेत्रीय कर्मचारियों की पड़ताल पर आधारित होता है। शासन स्तर पर होने वाली बैठकों में पड़ताल पर आधारित आंकड़ों की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लगाये जाते हैं। भूमि उपयोगिता एवं उपज रिपोर्ट को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न जिन्सवार तथा मिलान खसरा परिषद कार्यालय में पड़ताल की गुणवत्ता सहित निर्धारित समय पर उपलब्ध हो जाए, जिसके लिए निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैः–

1. पड़ताल के लिए भूलेख नियमावली के परिच्छेद 55 में समय सारिणी निर्धारित की गयी है तथा उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या– 1998/कृषि/2004/1(188)/04/ दिनांक 15 अक्टूबर, 2004 (संलग्नक सहित) के द्वारा कृषि सम्बन्धी आंकड़ो की विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु भूलेखों का समुचित रख–रखाव एवं समय से तत्सम्बन्धी सूचनाओं के आदेश क्रम संख्या 1 से 10 तक समस्त जिलाधिकारियों को निर्गत किये गये हैं।

2. भूलेख नियमावली के परिच्छेद 423 के अनुसार राजस्व निरीक्षक (सुपरवाईजर कानूनगो) प्रत्येक राजस्व उपनिरीक्षक/लेखपाल क्षेत्र में रोस्टर के ग्रामों में 5 प्रतिशत खसरा नम्बरों की जॉच प्रत्येक ऋतु में करेगें तथा जिन्सवार एवं मिलान खसरा की प्रविष्टियों का मिलान खसरा रजिस्टर से करेगें।

3. भूलेख नियमावली के परिच्छेद 577 के अनुसार उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एव नायब तहसीलदार एक पंचवर्षीय क्रम में प्रत्येक राजस्व निरीक्षक के प्रत्येक राजस्व उपनिरीक्षक/लेखपाल क्षेत्र में 01 ग्राम के अभिलेखों की जॉच करेगें। इस चक्र के प्रारम्भ होने पर ऐसी कर्तव्य सूची (रोस्टर) जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा तैयार की जायेगी, जिसमें इन तीनों अधिकारियों के बीच निरीक्षण कार्य का विभाजन दर्शाया जायेगा। उपजिलाधिकारी के निरीक्षण कार्यक्रम में अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये गये क्षेत्र का कम से कम एक तिहाई क्षेत्र सम्मिलित होना चाहिये।

4. पड़ताल निरीक्षण के सम्बन्ध में राजस्व परिषद द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को अपने पत्र संख्या–2184/38/काप कटिंग प्रशिक्षण/2013–14 दिनांक 07 मई, 2013 के द्वारा सम्बोधित किया गया था, जिसमें निर्देश निर्गत किये गये थे कि भविष्य में 1421

(वर्ष 2013–14) खरीफ से प्रत्येक पंचवर्षीय फसली रोस्टर वर्ष के प्रत्येक मौसम (खरीफ, रबी एवं जायद) में भूलेख नियमावली के अनुसार पड़ताल जॉच आख्या परिषद को उपलब्ध कराना सुनिशिचित करेंगे, लेकिन देखने में आ रहा है कि उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि खेदजनक स्थिति है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त आदेशों को समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्ण रूप से अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें व आख्या निम्न प्रारूप पर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करायें।

पड़ताल निरीक्षण प्रारूप

फसली वर्ष–

वर्ष–

क्र0 सं0	जनपद	सृजित पद/ पड़ताल निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की संख्या	खरीफ मौसम	रबी मौसम	जायद मौसम
1	जिलाधिकारी				
2	अपर जिलाधिकारी				
3	भूलेखाधिकारी				
4	उपजिलाधिकारी				
5	सहायक भूलेखाधिकारी				
6	तहसीलदार				
7	नायब तहसीलदार				
8	राजस्व निरीक्षक				

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विजय कुमार ढौंडियाल)
आयुक्त एवं सचिव।

पत्रांक एवं दिनांक–उक्तानुसार।
प्रतिलिपि–

1. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/ कुमांयू मण्डल नैनीताल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से समस्त जिलाधिकारियों को मासिक बैठक में भूलेख कार्यो की समीक्षा के समय उपरोक्त विवरण पत्रों (यथा पड़ताल, जिन्सवार/मिलान खसरा एवं क्राप कटिंग) में अपेक्षित सुधार हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, कृषि उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त कृषि निदेशक(सां) उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14.7.2016

(राजेश कुमार पाण्डेय)
सहायक निदेशक।